राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।
Telex : 0141-2993119 Email ID : irgyurban.lsg@rajasthan.gov.in Website :www.irgyurban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ.56(क)()सीई / डीएलबी / IRGY(U)/2023–24 / 1784 दिनांक :- 14/03/2024

जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक,
इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (IRGY),
जिला–नीम का थाना

विषयः–वर्ष 2023–24 में नवसृजित नगर पालिका पौंख में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत कार्यों के कियान्वयन बाबत्।

प्रंसगः–नगर पालिका, गुढ़ागौड़जी के पत्रांक 2996 दिनांक 28.02.2024 के कम में।

सन्दर्भः–निदेशालय द्वारा जारी पत्रांक 1244–1263 दिनांक 27.02.2024।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निदेशालय के संदर्भित पत्र (संलग्न) द्वारा वर्ष 2023–24 में पंचायत से नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित नवसृजित नगर पालिकाओं में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के कियान्वयन हेतु जिले की निकटतम निकायों को प्रभारी निकाय निर्धारित करते हुये कार्य सम्पादित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है, जो वित्त विभाग की आई.डी.सं. 172400303 दिनांक 27.02.2024 द्वारा अनुमत है।

प्रासंगिक पत्र के कम में नवसृजित नगर पालिका पौंख (जिला–नीम का थाना) में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के कार्य सम्पादन हेतु संदर्भित पत्र में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:–

क्र. सं.	सम्भाग	जिला	नवसृजित नगरीय निकाय	कार्यों के सम्पादन हेतु निर्धारित प्रभारी नगरीय निकाय
1	सीकर	नीम का थाना	नगर पालिका, पौंख	नगर पालिका, उदयपुरवाटी

उक्तानुसार प्रभारी नगरीय निकाय द्वारा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत जारी दिशा–निर्देशों अनुरूप आवंटित नवसृजित नगर पालिका की कार्य योजना तैयार कर जिले की नोडल निकाय के माध्यम से जिला स्तरीय समन्वय समिति से अनुमोदित करवाया जाना है। तत्पश्चात् कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करवाकर, विभागीय SoP के अनुसार सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति उपरांत वांछित दस्तावेज IRGY पोर्टल पर अपलोड कर कार्यों की मस्टररोल जारी कर नवसृजित नगरीय निकाय में योजना के क्रियान्वयन कि कार्यवाही की जानी है।

प्रभारी निकाय के नियमित कार्मिकों के द्वारा नियमानुसार योजनान्तर्गत जारी दिशा–निर्देशों अनुसार नवसृजित निकायों हेतु कार्यों का चयन कर, कार्यों का तकमीना तैयार कर, सक्षम स्तर से तकनीकी जांच करवाकर, कार्य योजना तैयार करावें एवं कार्यों के अनुमोदन पश्चात व प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति जारी होने के उपरांत मस्टरोल जारी करवाकर कार्यों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करावें तथा प्रतिदिन श्रमिकों की उपस्थिति पोर्टल पर इन्द्राज करवाकर पखवाड़ा समाप्ति के 15 दिवस में मस्टररोल / माप पुस्तिका पूर्ण / सत्यापित कर पोर्टल पर ऑनलाईन प्रविष्टि के माध्यम से बिल भुगतान की कार्यवाही करवाते हुए, आवंटित नवसृजित नगरीय निकाय में कार्यों को संपादित करवाया जाना सुनिश्चित करावें। उक्त प्रयोजनार्थ आपके जिले की निकायों में योजनान्तर्गत कार्यरत संविदा कार्मिकों यथा कनिष्ठ तकनीकी सहायक, लेखा सहायक, एम.आई.एस. एवं रोजगार सहायक को नवसृजित नगर पालिका में अतिरिक्त रूप से उपयोग में लिया जा सकता है।

अतः उक्तानुसार आपके जिले में स्थित नवसृजित नगर पालिका, पौंख में प्रभारी नगर पालिका, उदयपुरवाटी के माध्यम से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत वर्ष 2023–24 के कार्यो का कियान्वयन करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

(सुरेश कुमार ओला)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकःएफ.56(क)()सीई / डीएलबी / IRGY(U)/2023–24 / 1785–1806 दिनांकः– 14/03/2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर, राजस्थान।

2. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर, राजस्थान।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त/आयोजना विभाग, जयपुर, राजस्थान।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर, राजस्थान।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर, राजस्थान।
6. निजी सचिव, आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जयपुर, राजस्थान।
7. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, वित्त (व्यय–3) विभाग, जयपुर, राजस्थान।
8. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर, राजस्थान।
9. सम्भागीय आयुक्त, सीकर, राजस्थान।
10. जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, झुंझुनू।
11. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर, राजस्थान।
12. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर, राजस्थान।
13. परियोजना निदेशक, (IRGY), निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर, राजस्थान।
14. सचिव भर्ती आयोग निदेशालय, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर, राजस्थान।
15. सयुक्त निदेशक (जन सम्पर्क), निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर, राजस्थान।
16. संयुक्त निदेशक (आई.टी.) एवं सिस्टम एनालिस्ट, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर, राजस्थान को निर्देशित किया जाता है कि उक्त से संबंधित समस्त प्रावधान IRGY पोर्टल पर करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
17. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), जयपुर, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक, जिला स्तरीय नोडल नगरीय निकाय एवं कार्य संपादन हेतु बनायी गई प्रभारी नगरीय निकाय के मध्य समन्वयक कर नवीन नगरीय निकाय में कार्यों का क्रियान्वयन करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
18. संबंधित आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, अधिशाषी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता एवं वित्तीय सलाहकार/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी/लेखाकार, जिला स्तरीय नोडल नगरीय निकाय को निर्देशित किया जाता है कि योजना के पूर्व दिशा–निर्देशानुसार कार्य संपादन हेतु बनायी गई नोडल नगरीय निकाय से कार्यों का क्रियान्वयन करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
19. प्रभारी नगर पालिका, उदयपुरवाटी, अधिशाषी अधिकारी, अधिशाषी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता तथा वित्तीय सलाहकार/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी/लेखाकार को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित नवसृजित नगरीय निकाय में कार्यों का क्रियान्वयन करने हेतु कार्यवाही प्रारंभ कर जिला स्तरीय नोडल नगरीय निकाय के माध्यम से जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक को प्रस्तुत कर कार्यों/कार्य–योजना का अनुमोदन करवाया जाकर उपरोक्तानुसार कार्यवाही कर कार्यों का क्रियान्वयन करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
20. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, गुडागौड़जी, जिला–झुंझुनू।
21. स्टेट एम. आई. एस मैनेजर (IRGY), को पोर्टल पर अपलोड किये जाने बाबत्।
22. सुरक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव